



प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली

दिनांक 15.04.2024

थाना सिम्भावली पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा जिला बदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को ग्राम खागोई से रझेटी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता:-

दिल्लु पुत्र पल्टू निवासी ग्राम खागोई थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 160/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मुनेन्द्र कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
2. है0का0 614 आदेश कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
3. का0 247 अंकित कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड ।
4. का0 770 योगेश कुमार थाना सिम्भावली हापुड ।